

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :-

प्रकरण संख्या:-385/2021

जीसीएमएस नं. 2021/394

हेमराज गुर्जर (आरएएस)

दायर दिनांक:- 25.08.2021

उनवान

गंगासहाय पुत्र किशोरी जाति मीना निवासी झारेडा तहसील हिण्डौन जिला
करौली

वादी

बनाम

सुमन पत्नि दिनेश जाति मीना निवासी मण्डावरा तहसील सपोटरा जिला
करौली राज0

प्रतिवादीगण-09

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक:- 25.06.2024

संक्षिप्त में मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में वादीगण व वादीगण वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में बार-बार वादीगण व वादीगण वकील को आवाज दिलवाई गयी आवाज दिलवाने के बावजूद वादीगण व वादीगण वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण दिनांक 04.04.2024 से कायम मुकाम में विचाराधीन चल रहा है। जिससे जाहिर होता है कि वादीगण व वादीगण वकील प्रकरण आगे चलाने में रुचि नहीं ले रहे है। अतः मुकदमा न0 385/2021 गंगासहाय बनाम सुमन मीना अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 25.06.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन